कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोन नं. 0145–2429971, 2429920
ईमेल आईडी :– ajmermc@gmail.com वेबसाईट :– www.ajmermc.org

क्रमांक :– RO (OR) / 496 दिनांक :– 7/9/18

संशोधित नीलामी सूचना

नगर निगम अजमेर द्वारा पूर्व में लवकुश उद्यान के पीछे हृदय योजनान्तर्गत नवनिर्मित लेक व्यू फूड कोर्ट की नीलामी सूचना क्रमांक आर.ओ.(आर.ओ.)/432/88 दिनांक 24.08.2018 से राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के प्रकाशन दिनांक 29.08.2018 में प्रकाशित कराई गई थी जिसका UBN is :- ANN1819SLOB00214 है। जिसमें निम्न संशोधन कर पढा जावे :–

नीलामी स्थल	फूड कोर्ट परिसर में, मौके पर
नीलामी दिनांक व समय	03 अक्टुबर प्रातः 10.00 बजे
नीलामी में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन करने व अमानत राशि जमा करने की दिनांक व समय	03 अक्टुबर को प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक
प्रारम्भिक बोली राशि	रू. 15.00 लाख प्रति वर्ष
अमानत राशि	रू. 3.00 लाख

दिनांक 24.09.2018 को प्रातः 11:00 बजें नगर निगम के अधिकारियों के साथ इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा मौके का निरीक्षण किया जा सकता है व किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

फूड कोर्ट के संचालन संबंधी संशोधित शर्ते व प्लान, विज्ञापन फलैक्स, आदि विवरण SPPP पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। अन्य जानकारी राजस्व अधिकारी (अन्यकर) नगर निगम अजमेर से प्राप्त की जा सकती है।

NIB CODE :–
UBN IS :–

उपायुक्त
नगर निगम अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोन नं. 0145–2429971, 2429920

ईमेल आईडी :– ajmermc@gmail.com वेबसाईट :– www.ajmermc.org

क्रमांक :– दिनांक :– 7/9/18

संशोधित नीलामी शर्त

नगर निगम अजमेर द्वारा पूर्व में लवकुश उद्यान के पीछे हृदय योजनान्तर्गत नवनिर्मित लेक व्यू फूड कोर्ट की नीलामी सूचना क्रमांक आर.ओ.(आर.ओ.)/432/88 दिनांक 24.08.2018 से राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के प्रकाशन दिनांक 29.08.2018 में प्रकाशित कराई गई थी जिसका UBN is :- ANN1819SLOB00214 है। जिसमें निम्न संशोधन कर पढा जावे :–

क्र.सं.	पूर्व की शर्त का विवरण	संशोधित शर्तो का विवरण
1	शर्त स. 30. सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से CC TV कैमरे स्थापित किये जायेंगे। इन कैमरों की सुरक्षा एवं संधारण का दायित्व संवेदक का होगा।	विलोपित की जाती है।
2	शर्त स. 34. संवेदक सम्पूर्ण परिसर में किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य/रद्धोबदल नही करा सकेगा। नया निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में नगर निगम से डिजाईन अनुमोदन कराने पर अस्थाई निर्माण अनुमत होगा। जिसकी पृथक से नगर निगम द्वारा कोई राशि नही दी जावेगी।	संवेदक सम्पूर्ण परिसर में किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य/रद्धोबदल नही करा सकेगा। परन्तु फुड कोर्ट के प्रथम तल पर नियंत्रण प्रवेश द्वार स्वयं के खर्चे पर लगा सकता है एवं परिसर को वातानुकूलित करने व धूप, वर्षा, आदि से बचाव हेतु अस्थाई कांच, पर्दे आदि लगा सकता है। जिसकी पृथक से नगर निगम द्वारा कोई राशि नही दी जावेगी।
3	क्र.सं. 51. नवीन शर्त	सफलतम संवेदक को संचालन व रख रखाव हेतु फुड कोर्ट परिसर As is where is स्थिति में सम्भलाया जावेगा।
4	संलग्न प्लान एवं विज्ञापन फ्लैक्स	निरस्त किया जाता है
5	नवीन प्लान एवं विज्ञापन फ्लैक्स	'A' 'B' 'C' संलग्न है।

उपायुक्त
नगर निगम अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोन नं. 0145–2429971, 2429920
ईमेल आईडी :– ajmermc@gmail.com वेबसाईट :– www.ajmermc.org

लवकुश उधान के पीछे "लेक व्यू फूड कोर्ट" को संचालन करने हेतु नीलामी में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन

1.	नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम व मोबाईल नं	
2.	पहचान हेतु निम्न में से किसी भी एक की फोटो प्रति (आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्राईविंग लाइसेंस)	
3.	तीन लाख अमानत राशि का विवरण	डी.डी/बैंकर चैक नं. .... दिनांक ....
4.	वर्तमान निवास का पूंर्ण पता :	
5.	स्थायी निवास का पूर्ण पता :	
6.	ई–मेल आई.डी.	
7.	वर्तमान व्यवसाय/आमदनी का जरिया	
8.	पेन नं. (इनकम टेक्स)	

मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी गलत पाये जाने पर नगर निगम अमानत राशि जब्त करने एवं प्रार्थी के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है।

प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर

Bid Corrigendum :– ANN1819SLOB00214

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

लव–कुश उद्यान के पीछे नवनिर्मित "लेक व्यू फूड कोर्ट" को लाईसेन्स फीस के आधार पर खुली नीलामी द्वारा संचालन हेतु नियम एवं शर्ते

1. इस नीलामी के अन्तर्गत कार्य का अनुबन्ध प्रथम 08 वर्ष के लिए होगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमति से अधिकतम आगामी 2 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। उक्त अवधि में नीलामी की समस्त शर्तो की पालना आवश्यक होगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति/फर्म
   (i) भारत का नागरिक होना चाहिये।
   (ii) किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा Blacklisted नही होनी चाहिये।
   (iii) भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित किया हुआ नही होनी चाहिये।
3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों/फर्मो/संवेदको को तीन लाख रूपये का डी.डी./बेंकर चेक आयुक्त नगर निगम अजमेर के पक्ष में बनाया जाकर अमानत राशि के रूप में मौके पर जमा कराना होगा। केश राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. प्रथम अधिकतम बोलीकर्ता की अमानत राशि के अतिरिक्त नीलामी में भाग लेने वाले अन्य बोलीकर्ताओं की अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चेक वापिस कर दी जावेगी।
5. सफलत्म बोलीदाता को अनुमोदित ठेके की वार्षिक लाईसेंस राशि का 25 प्रतिशत राशि नीलामी स्वीकार होने के एक दिवस की अवधि में तथा शेष राशि एक माह में जमा करानी होगी। अन्यथा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। लाईसेन्स फीस की अवधि की गणना संवेदक को स्वीकृति पत्र (LoA) जारी करने की दिनाँक से एक माह पश्चात् से की जायेगी।
6. लाईसेन्स फीस का भुगतान प्रति वर्ष करना होगा, लाईसेन्स फीस की राशि आगामी लाईसेन्स फीस की ड्यू (Due) दिनांक से एक माह पूर्व जमा करानी होगी। यदि भुगतान इस बिन्दु से आगे विलम्ब होता है तो धरोहर राशि जब्त करते हुये ठेका निरस्त किया जा सकता है। आगामी वर्ष की लाईसेन्स फीस जो कि पिछली लाईसेन्स फीस से 10 प्रतिशत अधिक होगी। लाईसेन्स फीस की राशि का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में आयुक्त, नगर निगम, अजमेर के नाम से किया जायेगा।
7. अनुमोदित ठेकेदार की दरें अनुमोदित होने पर नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र एवं अनुमोदित ठेके लिये Licence राशि के अतिरिक्त सुरक्षा राशि रू. 20.00 लाख (बैंक F.D बैंक गारण्टी के रूप में) की बैंक गारन्टी LoA जारी होने से 15 दिवस की अवधि में जमा करवाना होगा। जमा नही करवाने की दशा में अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. ठेका समाप्ति के पश्चात् लौटाने के उद्देश्य से क्षतिपूर्ति द्रवता अवधि (Liquidity Damage Period) 06 माह की होगी। अर्थात् ठेका समाप्ति के पश्चात् छः माह में बिना किसी आपत्ति के पश्चात् ही सुरक्षा राशि लौटाई जानी सम्भव होगी।
9. ग्राहको के बैठने, पीने के पानी आदि की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।

10. फूड कोर्ट में एवं सम्पूर्ण परिसर में उपयोग होने वाले बिजली–पानी के बिल का भुगतान P.H.E.D. तथा A.V.V.N.L. के वास्तविक बिल के अनुसार करना होगा।
11. आयकर, GST व सरचार्ज अन्य कर जो भी देय हो एवं राज्य सरकार के नियमानुसार समय–समय पर इनमें होने वाली वृद्धि के अनुसार राशि निर्धारित समयावधि में संबंधित विभाग को सीधे जमा कर रसीद की फोटो प्रति नगर निगम अजमेर को प्रस्तुत करनी होगी।
12. फूड कोर्ट में रखी हुई खाद्य व सामग्री/पेयजल हेतु उचित उपकरण यथा फ्रीज/डीप फ्रीज आदि होने चाहिये तथा बेची जाने वाली सामग्री अवधि बाहर नही होनी चाहियें।
13. फूड कोर्ट में व्यवसायिक गेस के अलावा अन्य कोई प्रतिबंधित ईधन उपयोग में नही लिया जावेगा। यदि संबंधित विभाग द्वारा अनियमितता पाई जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
14. सम्पूर्ण परिसर पर एवं इसके आस–पास सफाई रखनी होगी। फूर्ड कोर्ट का कचरा ठेकेदार द्वारा ही परिसर से हटवाया जाकर निर्धारित स्थान पर डालना होगा।
15. सम्पूर्ण क्षेत्र की पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था संवेदक को करनी होगी कचरा पात्र समुचित स्थान पर स्थापित करने होगें। शौचालय एवं मूत्रालय की सफाई एवं रखरखाव प्रतिदिन सुचारू रूप से कराना होगा। फिनाईल/केमिकल आदि की व्यवस्था कर संवेदक को सफाई करनी होगी।
16. बोलीदाता को नियमानुसार GST एवं श्रम कानून के तहत पंजीयन कराना होगा।
17. फूड कोर्ट के लिये आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था ठेकेदार को स्वंय को करनी होगी। तथा स्टाफ को देय वेतन राशि का भुगतान ठेकेदार को करना होगा। फूड कोर्ट स्टाफ को पहचान पत्र व यूनिफॉर्म की पहननी होगी। स्टाफ के किसी आकस्मिक घटना पर कामगार क्षतिपूर्ति के समस्त दायित्व ठेकेदार के होगें।
18. फूर्ड कोर्ट पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के आचरण के लिये ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। आगन्तुको के साथ सदव्यवहार रखना होगा।
19. बोलीदाता द्वारा विभिन्न खाद्य सामग्री की दरों की मूल्य सूची, निर्धारित बोर्ड पर फूड कोर्ट के अन्दर एवं बाहर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रिन्ट करवाकर लगानी होगी एवं इससे अधिक दर बेचे जाने की शिकायत प्राप्त होने पर समिति द्वारा जांच व सत्यता पाई जाने पर 1000/–रू. जुर्माना राशि जमा करानी होगी।
20. पैक्ड आईटम मुद्रित मूल्य (MRP) से अधिक दर पर विक्रय नही किये जा सकेगें।
21. सम्पूर्ण परिसर में ठेकेदार किसी भी प्रकार के सिगरेट, तम्बाकू, बीडी, गुटके, शराब आदि नशीले पदार्थ व प्रतिबन्धित सामग्री न तो काउन्टर पर रखेगा और न ही बिक्री करेगा।
22. फूड कोर्ट एवं परिसर का नगर निगम के द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण में किसी प्रकार की नीलामी की शर्तो के अनुसार कमी पाई गई तो समिति के निर्णय अनुसार शास्ती वसूली करने का अधिकार होगा। आरोपित शास्ती राशि को तत्काल जमा कराना होगा तथा भविष्य में पुनरावृति की स्थिति में ठेका निरस्त किया जा सकता है।
23. फूड कोर्ट में अवांछित गतिविधियां होने एवं कार्य असंतोषजनक होने पर बिना सूचना के तुरन्त प्रभाव से ठेका निरस्त किया जा सकेगा, जिस पर कोई क्षति–पूर्ति एवं पुर्नभरण के

लिए कोई दावा नही किया जा सकेगा। इस संबंध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार महापौर एवं आयुक्त, नगर निगम, अजमेर का संयुक्त रूप से होगा।

24. ठेकेदार फूड कोर्ट में रात्रि 10.00 बजे पश्चात् ध्वनि प्रसारण यंत्रो का उपयोग नही करेगा।
25. ठेकेदार यदि स्वंय स्वेच्छा से समय से पूर्व छोड़कर जाने पर B.G. राशि जब्त कर ली जायेगी।
26. बोलीदाताओं के लिये नीलामी में भाग लेने से पूर्व संबंधित परिसर निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।
27. ठेका अवधि के दौरान सम्पूर्ण परिसर क्षेत्र के रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
28. किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।
29. परिसर क्षेत्र पर संधारित किये गये गार्डन, पेड़ पौधो की समुचित देखरेख, रखरखाव आदि की नियमित व्यवस्था करनी होगी। यदि किसी गमले/पेड़–पौधे की क्षति होती है तो उसी साईज के पेड़–पौधो की पुनः स्थापना संवेदक को स्वंय करनी होगी।
30. सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से CC TV कैमरे स्थापित किये जायेंगे। इन कैमरों की सुरक्षा एंव संधारण का दायित्व संवेदक का होगा।
31. वाहनों की समुचित सुरक्षा एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार वाहन शुल्क लिया जा सकेगा जो 3 घंटे की अवधि के लिये होगा अवधि पूर्ण होने पर पुनः लिया जा सकेगा :–
    1. दो पहिया वाहन – रू. 10/– प्रतिवाहन
    2. तीन/चार पहिया वाहन – रू. 20/– प्रतिवाहन
32. ठेके की अवधि के दौरान होने वाली किसी भी क्षति की पूर्ति करने का नगर निगम का कोई दायित्व नही होगा। उसका भरण स्वंय ठेकेदार द्वारा ही किया जावेगा।
33. ठेकेदार द्वारा स्टैण्ड पर आने वाली गाड़ियों को जारी किये जाने वाले टिकिट पर वाहन संख्या सहित अंकित कर प्राप्तकर्ता (ठेकेदार के प्रतिनिधि) के हस्ताक्षर होने चाहिये निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करने पर नीलामी के नियमों की अवहेलना मानी जावेगी।
34. संवेदक सम्पूर्ण परिसर में किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य/रद्दोबदल नही करा सकेगा। नया निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में नगर निगम से डिजाईन अनुमोदन कराने पर अस्थायी निर्माण अनुमत होगा, जिसकी पृथक से नगर निगम द्वारा कोई राशि नहीं दी जावेगी।
35. फूड कोर्ट एवं सम्पूर्ण परिसर की सुरक्षा एवं व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड लगाने होंगे।
36. नगर निगम के (अधिकृत कर्मचारी/अधिकारियों) द्वारा समय–समय पर परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा एवं निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
37. किसी भी नीलामी को बिना कारण बताये महापौर, नगर निगम, अजमेर को निरस्त करने का अधिकार होगा। प्राप्त दरों पर अन्तिम निर्णय महापौर, नगर निगम, अजमेर में निहित होगा।
38. संवेदक को फूड कोर्ट संचालन करने हेतु नियमानुसार सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी से लाईसेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे।
39. संवेदक को फूड कोर्ट संचालन हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियमों की पालना करनी होगी।

40. संवेदक निर्धारित राशि जमा करवाने के पश्चात् परिसर फूड कोर्ट के संचालन एवं रख–रखाव के लिए सम्भलाया जायेगा। इसके पश्चात् अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की पेंटिंग आदि टूट–फूट होने पर मरम्मत की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
41. संवेदक को शॉप एवं एस्टब्लीसमेन्ट एक्ट की पालना करनी होगी।
42. संवेदक कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, बोनस एक्ट 1966, ग्रेच्यूटी एक्ट 1971, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारतीय रेट अधिनियम 1947, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, कान्ट्रेक्टर लेबर रेग्यूलेशन तथा अबोलेशन एक्ट 1970, एम्प्लोयस लायबिलिटी एक्ट 1938, इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एवं इन समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धो नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। इन समस्त नियमों, उपनियमों में समय–समय पर किये गये संशोधनों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।
43. अन्य नियम एवं शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो के अनुसार।
44. संचालन/अनुबन्ध अवधि में माननीय न्यायालय के द्वारा दिये गये आदेशो की पालना करनी होगी। संवेदक को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
45. संवेदक को सेनिटेशन मेनुअल की पालना करनी होगी। फूड कोर्ट एवं परिसर के गन्दे पानी/सीवरेज के ट्रीटमेन्ट हेतु मिनी एस.टी.पी. स्वयं के खर्चे पर स्थापित करना होगा।
46. संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आनासागर झील में किसी भी प्रकार की गन्दगी नहीं जावे। अन्यथा संवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
47. संवेदक शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका का संधारण करेगा तथा इसकी सूचना प्रवेश द्वार लगानी होगी।
48. फूड कोर्ट व परिसर का प्लान केवल संदर्भ (Reference) हेतु संलग्न है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने से पूर्व परिसर का निरीक्षण कर सकते है व सम्पूर्ण जानकारी स्वंय एकत्रित कर सकते है। नगर निगम अजमेर की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
49. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को उक्त शर्तो की पालना करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के तथ्य छुपाने पर किसी भी स्तर पर अनुबन्ध निरस्त कर अमानत राशि/सुरक्षा राशि/जमा लाइसेंस फीस जब्त कर ली जावेगी।
50. संवेदक के द्वारा दी गई कोई भी शर्त स्वीकार नही की जायेगी।

राजस्व अधिकारी (अन्यकर)
नगर निगम, अजमेर

उपायुक्त (विकास)
नगर निगम, अजमेर